बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०5–48 / 2022..... / प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 196 दिनांक 09.02.2026 द्वारा श्री रामदहिन प्रसाद, तत्कालीन प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फलका, कटिहार के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (ख) के तहत "01% पेंशन कटौती दो वर्ष के लिए" का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री रामदहिन प्रसाद द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 29.05.2026 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखा गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 के द्वारा पक्ष रखा गया।

2. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 230 (उच्च) दिनांक 30.08.2022 द्वारा श्री रामदहिन प्रसाद, तत्कालीन प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फलका, कटिहार के विरूद्ध श्रीमती विभा रानी, सम्प्रति सेवानिवृत शिक्षिका, संलग्न अभ्यासशाला, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) के जाँच से आच्छादित होने के कारण आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन किया गया था, फिर भी उपरोक्त तथ्यों को छुपाते हुए स्वहित में सेवांत लाभों का निष्पादन कराये जाने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई जो कि इनके स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारी के आदेशों का अवहेलना का द्योतक होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

3. उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से निदेशालय पत्रांक 25 दिनांक 17.01.2023 द्वारा बचाव अभिकथन की माँग की गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव अभिकथन में अंकित किया गया कि श्रीमती विभा रानी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का उल्लेख करते हुए महालेखाकार को पेंशनादि निष्पादन हेतु पत्र दिया गया था। साथ ही यह भी अंकित किया गया कि उक्त अनुशासनिक कार्यवाही का फलाफल निर्गत नहीं हुआ था। तदालोक में निदेशालय पत्रांक 1145 दिनांक 20.12.2024 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त बचाव अभिकथन पर मंतव्य की

माँग की गयी। उनके द्वारा मंतव्य प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती विभा रानी, सम्प्रति सेवानिवृत शिक्षिका, संलग्न अभ्यासशाला, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप जो कि सहायक शिक्षिका की नियुक्ति से संबंधित था, के कारण अनुशासनिक कार्यवाही संचालित था। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल में श्रीमती विभा रानी को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1533 दिनांक 16.08.2022 द्वारा पूर्ण पेंशन रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया। इस गंभीर प्रकृति के आरोप में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के बावजूद सम्पूर्ण देय लाभों का भुगतान किया जाना नियमानुकूल नहीं था, जो सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है।

4. प्राप्त आरोप पत्र, आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफरपुर से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी के लिखित बचाव अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 196 दिनांक 09.02.2026 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 139 (ख) के तहत आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "1% पेंशन कटौती दो वर्ष के लिए" का दंड अधिरोपित किया गया।

5. अपील सुनवाई में अपीलार्थी श्री प्रसाद द्वारा अपने बचाव पक्ष में अंकित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभा रानी के मामले में फैसला आने के पश्चात् निदेशक प्रशासन, शिक्षा विभाग, पटना द्वारा श्रीमती विभा रानी को जब्त पूर्ण पेंशन को पूर्ण बहाल एवं चालू करने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा आरोप के गंभीर प्रकृति के मामले जिसमें उक्त शिक्षिका को पूर्ण पेंशन जब्त करने का आदेश दिया गया, उक्त मामले में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के बावजूद सेवांत लाभ भुगतान हेतु पेंशन प्रपत्र का अग्रसारण महालेखाकार को किया गया। इस पर कोई तथ्य नही रखा गया है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा श्रीमती विभा रानी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त शिक्षिका, संलग्न अभ्याशसाला, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चंदवारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप जो कि सहायक शिक्षिका की नियुक्ति से संबंधित था, के कारण अनुशासनिक कार्यवाही संचालित होने के बावजूद पेंशन प्रपत्र का अग्रसारण महालेखाकार को किया गया एवं सम्पूर्ण सेवांत देय लाभों का भुगतान श्री प्रसाद द्वारा किया गया, जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा की गई। जबकि उक्त अनुशासनिक कार्रवाई में संबंधित शिक्षिका को पूर्ण पेंशन जब्ती का दंड अधिरोपित किया गया। जो कि उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं विभागीय प्रचलित नियम के विपरित कार्य करना है। अतएव अपीलार्थी का बचाव पक्ष स्वीकार योग्य नहीं है।

6. अतः समीक्षोपरांत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 196 दिनांक 09.02.2026 द्वारा श्री रामदहिन प्रसाद, तत्कालीन प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा

महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर–सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फलका, कटिहार के विरूद्ध "1% पेंशन कटौती दो वर्ष के लिए" अधिरोपित दंड को यथावत् रखा जाता है।

इसके साथ ही मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव, शिक्षा विभाग
पटना, दिनांक 10.06.2026

ज्ञापांक–08/आ०–05–48/2022 -773/

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/ क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ /प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17)/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री रामदहिन प्रसाद, सेवानिवृत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फलका, कटिहार, आवासीय पता–ग्राम+पो०–भोभी, थाना–नगरनौसा (चन्डी), जिला–नालंदा, मो०–7004414032 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/26
सचिव, शिक्षा विभाग